



टूर्भाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उप्रो)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/२०१८/९१३९

दिनांक २७.१०.२०१८

कार्यालय-ज्ञाप

माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ता का अनुमोदन निरस्त किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रपत्रों की आवश्यकता होगी, जो निम्नवत् हैः—

1. नियुक्ति पत्र की छायाप्रति।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. पैन कार्ड की छायाप्रति।
4. मोबाइल नम्बर।
5. ई-मेल आईडी।
6. फोटोयुक्त नोटराइज्ड शपथ—पत्र।
7. महाविद्यालय को प्रेषित त्याग पत्र की छायाप्रति।

उक्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अनुमोदन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालयों की लॉग-इन पर अपलोड करने का कष्ट करें तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
2. प्रबन्धक सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ता द्वारा प्रेषित प्रार्थना के सन्दर्भ में अपनी सहमति/असहमति का पत्र 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दें अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न करा दी जायेगी।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

Ram Singh
कुलसचिव